

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, आलीराजपुर वनमण्डल आलीराजपुर  
फारेस्ट केम्पस खण्डवा बड़ौदा मार्ग आलीराजपुर (म.प्र.)

Phone& fax no. 9424792510

EMail-dfot.alp@mp.gov.in

खंड-01

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या .....01/2512...../ई-टेंडरिंग /2026-27 दिनांक 24/04/2026

1. वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल आलीराजपुर द्वारा म.प्र. के नियमों एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित -2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	सत्यांकार निधि	निविदा मूल्य
01	02	03	04
01	<b>Galvanised Steel Chain Link Fencing</b> Mesh wire- galvanised steel wire of 3.15 mm diameter Fabric Size - 100x100 mm Height- 150 CM Line wire - 2 numbers of line wires of 4.00 mm diameter standard- Conforming to IS-2721-2003 with up to date amendments	2,68,000/-	89,60,000/-
02	<b>Galvanised Steel Chain Link Fencing</b> Mesh wire- galvanised steel wire of 3.15 mm diameter Fabric Size - 75x75 mm Height- 150 CM Line wire - 2 numbers of line wires of 4.00 mm diameter standard- Conforming to IS-2721 : 2003 with up to date amendments		
03	<b>Galvanised Steel Barbed Wire</b> Line wire - Galvanised steel wire of 2.5 mm diameter Point wire- galvanised steel wire of 2.5 mm. diameter . Barbs -Distance between two barbs 75 mm' the barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wires each two turns tightly around both the line wires making altogether four complete turns. Standard - conforming to IS-278-2009		

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण एम.पी. टेन्डर पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार एम.पी. टेन्डर पोर्टल पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- एम.पी. टेन्डर पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक .....12/5/2026 को दोपहर 02 बजे कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं भाग ले सकते हैं। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने टेंडर फॉर्म खरीदे हैं।
- एम.पी. टेन्डर -निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- एम.पी. टेन्डर पोर्टल :<https://mptenders.gov.in/>

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल आलीराजपुर

खंड -2


निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्रमांक 1	जानकारी 2	विवरण 3
1	संक्षिप्त विवरण	आलीराजपुर वन मण्डल में किये जाने वाले वानिकी कार्यों के लिए <b>Chain Link Fencing, Barbed Wire</b> सामग्री कय करने हेतु दरों की निविदा
2	एम.पी. टेन्डर -निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	-
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	( पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	2,68,000/- (दो लाख अडसठ हजार मात्र)
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	एक वर्ष या आदेश दिनांक तक
6	निष्पादन सुरक्षा	2,68,000/- (दो लाख अडसठ हजार मात्र)
7	अनुमानित निविदा मूल्य	89,60,000/-
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	.....12/5/2026.....
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	.....18/5/2026..... 21
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	.....26/5/2026.....
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	.....28/5/2026.....
12	जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा <a href="https://mptendrs.gov.in">https://mptendrs.gov.in</a> पर करे।

- निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वन मण्डल अधिकारी आलीराजपुर वन मण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
- निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वन मण्डल अधिकारी आलीराजपुर वन मण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
- वन मण्डल अधिकारी आलीराजपुर वन मण्डल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
- प्रति निविदाकार एक निविदा:-**
  - निविदाकार एक व्यक्तिगत ईकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।
  - कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदाये प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएंगी।
  - निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
  - निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध अंतर्गत निविदाकार को एफओआर स्थल अंतर्गत

सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदाकार की जिम्मेदारी होगी। निविदाकार सामग्री प्रदाय एफओआर स्थल अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी आलीराजपुर, मथवाड़, उमराली, जोबट, भाभरा, कटठीवाड़ा से सम्पर्क कर स्थल निरीक्षण करे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र अनुलग्नक-3 में प्रस्तुत करे। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

  
वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल आलीराजपुर

## (ब) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  - I. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (संबंधित सामग्री विक्रय का HSN कोड होना अनिवार्य हैं)
  - II. पैन कार्ड
  - III. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
  - IV. 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक-1
  - V. पूरा अनुलग्नक -2
  - VI. पूरा अनुलग्नक -3
  - VII. सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र
  - VIII. दुकाने एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण प्रमाण पत्र
  - IX. एमएसएमई प्रमाणपत्र यदि ईएमडी छुट मांगी गई है।
  - X. 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छुट मांगी गई है। ( अनुलग्नक 4-खंड (i) और (ii) अनुसार)
  - XI. अनुलग्नक-4 अनुसार अभिलेख

8.1 निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

8.2 निविदाकार को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का सेम्पल, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय में वनमण्डल कार्यालय आलीराजपुर में जमा करना अनिवार्य होगा।

8.3 पूर्व में विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जारी की गई निविदाओं में मानक अनुसार सामग्री प्रदाय न करने के कारण निविदाएँ निरस्त की जाकर संबंधित फर्म को काली सूची में डालने संबंध में कार्यवाही की गई है। जिसमें अनावश्यक रूप से कार्य निष्पादन में विलम्ब होता है। अतः प्री-बीड मीटिंग के पश्चात निविदाकार द्वारा प्रदाय किये गये सामग्री के सेम्पल का परीक्षण वनमण्डल कार्यालय में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जावेगा। समिति द्वारा परीक्षण उपरांत सामग्री का सेम्पल उपयुक्त पाये जाने के पश्चात आवश्यकता अनुसार सेम्पल को NABL द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जावेगा। परीक्षण का शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। सामग्री का सेम्पल परीक्षण में उपयुक्त नहीं पाये जाने के फलस्वरूप निविदाकार को तकनीकी निविदा में असफल माना जावेगा।

8.4 IS - 2721-2003 एवं IS- 278-2009 के मानक अनुसार निविदाकार की फर्म के स्वयं का BIS प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसी अन्य संस्था/फर्म का Authorization/Under Taking/ मुख्तारनामा मान्य नहीं होगा।

9.1 एम.पी. निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल बेवसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप से अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालियों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है। जो उसे आवश्यक लगें।

9.3 निविदा पूर्व बैठक में उठाये गये प्रश्नों, सुझाव तथा संशोधन को शामिल किया जाकर यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में ऑनलाईन शुद्धि पत्र जारी करते हुए संशोधन किया जावेगा।

10.1 सत्यांकर निधि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम एवं सेवा उपाजन नियम, 2015 (यथा संशोधित- 2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

10.2 सत्यांकर निधि निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जाएगा। ऑफलाईन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफल सत्यांकर निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकर निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार )

10.5 सत्यांकर निधि जब्त की जा सकती हैं।\*

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबुझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो।

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकर निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

11. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन कवर प्रणाली में ऑनलाईन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रकाशित की जाएगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश एम.पी. टेन्डर पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

13. पूर्व-योग्यता मापदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है।

14. तकनिकी निविदा एम.पी. टेन्डर पोर्टल पर ऑनलाईन खोली जाएगी।
15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाईन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि वन मण्डल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।
18. वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी की गई निविदा अन्तर्गत निविदा पूर्व बैठक में निविदाकारों के दिये गये सुझाव अनुसार शुद्धी पत्र जारी करते हुए अनुलग्नक-3 प्रमाण पत्र की बाध्यता संबंधी निविदा शर्त को निरस्त किया गया था। किन्तु सामग्री प्रदाय के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिये गये फीडबैक एवं सुझाव का अवलोकन करने पश्चात निविदाकर्ता के संज्ञान में आया है कि निविदाकारों द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थलों का पूर्व में भ्रमण न करने के कारण कार्य स्थल की दूरी, पहुँच सुगमता आदि के विषय में अनुमान न करते हुए सामग्री प्रदाय की गई। जिससे सामग्री मूल गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हुई। जिसमें अत्यधिक समय एवं श्रम व्यय हुआ। जिसके कारण कार्य सम्पादन में अनावश्यक विलम्ब हुआ है।

अतः सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे आलीराजपुर वन मण्डल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में वनमण्डल आलीराजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं की सूची संलग्न की जा रही है। प्रत्येक परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य स्थलों में से 50 प्रतिशत या अधिक स्थलों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। तथा इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 03) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कार्य स्थलों की सूची में से प्रत्येक परिक्षेत्र अन्तर्गत न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक स्थलों के फोटोग्राफ्स जीपीएस रीडिंग सहित अनुलग्नक 03 के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है। (वनमण्डल आलीराजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य स्थलों की सूची संलग्न)

19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 01 से उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा - काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों साथ रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल आलीराजपुर

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन -

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है। जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।

(गैर-भौतिक विचलन छोटी मोटी त्रुटियों या चुक को संदर्भित करता है जो निविदा की मूल्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती है।, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियाँ या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।)

22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।

23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/ प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वन मण्डल अधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो स्वीकृत एल-1 फर्मों को कार्य आदेश समान मात्रा में किया जावेगा।

25 कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक कर किया जाएगा: यदि ईकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो ईकाई मूल्य मान्य होगा। और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

  
वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल आलीराजपुर

(द) अनुबंध का पुरस्कार:-

28. सबसे कम दर अदृष्ट करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए कमशः सबसे कम दरें हैं।

29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सुचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग " महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा कियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंको को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में वन मण्डल अधिकारी आलीराजपुर वन मण्डल जिला आलीराजपुर" के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि से 03 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-22) के अनुरूप की जाएगी।

31. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है। कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चुक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

- I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वन मण्डल अधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इस लिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
- II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
- III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी है।
- IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल आलीराजपुर

### 32. अनुबंध सामझौते पर हस्ताक्षर

32.1. सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।

32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईमएडी) जब्त कर ली जाएगी।

33. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चुक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।

34. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल आलीराजपुर

## ई. अन्य नियम और शर्तें

35. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है। और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है। और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

36 निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।

37.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झुठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

37.2 सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इस सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

37.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें से समायोजित की जाएगी। राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

37.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

38. इस निविदा सुचना जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

**टीप:- BOQ में निविदाकार द्वारा निविदा सामग्री के लिये अंकित की जाने वाली दर समस्त कर रहित होगी। (उल्लेखित सामग्री की मूल दर पर समस्त कर पृथक से देय होंगे।)**

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल आलीराजपुर

अनुलग्नक - 1

प्रारूप: स्वघोषणा - काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक://

सेवा में,

वनमण्डल अधिकारी

.....जिला ..... म0प्र0

महोदय/महोदया,

दिनांक \_\_\_\_\_ के निविदा संदर्भ संख्या \_\_\_\_\_ के प्रत्युत्तर में,  
\_\_\_\_\_ के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम

घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म \_\_\_\_\_ का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.....

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः अन्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: -

संगठन की मुहर: -

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक - 2

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण

1. निविदाकार / फर्म का नाम:

.....

2. पिता का नाम

.....

3. स्थायी पता मकान क्रमांक

.....

गली क्रमांक

.....

स्थान

.....

जिला

पिन कोड

4. कार्यालय का पता

.....

गली क्रमांक

.....

स्थान

.....

जिला

पिन कोड

5. सत्याकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार: एफडीआर / बैंक गारंटी / .....

संख्या दिनांक

.....

राशि

.....

बैंक का नाम

.....

6. जीएसटी नंबर .....

निविदाकार के हस्ताक्षर

## घोषणा

मैं,

.....  
पिता/पति  
.....

घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 3

प्रारूप : सामग्री प्रदाय हेतु क्षेत्र भ्रमण प्रमाण-पत्र

मैं/हम ..... जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति

का दायरा वनमण्डल आलीराजपुर का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम ..... वनमण्डल

के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर निविदा में प्रस्तावित सामग्री ..... प्रदाय करने के

लिये सहमत हैं।

मैं/मेरे प्रतिनिधि द्वारा 50 प्रतिशत या अधिक स्थलों पर भ्रमण किया गया की जी.पी.एस. रीडिंग सहित

फोटोग्राफ्स निविदा में अटैच की गई हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर  
एवं मुद्रा

वृक्षारोपण स्थल का विवरण :-

भ्रमण किये गये स्थल का विवरण				फर्म का नाम	फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
क्रमांक	परिक्षेत्र	कक्ष क्र./स्थल का नाम	रकबा हे. में			
1	चन्द्रशेखर आजाद नगर	110-छोटाभावटा	50			
2	चन्द्रशेखर आजाद नगर	115-छोटीपोल	30			
3	कट्टीवाडा	197-आमखूट	25			
4	उमराली	391- महलगांव	35			
5	मथवाड	415-उमरठ	50			
6	मथवाड	504-गंधवानी	35			
7	उमराली	410- सोण्डवा	30			
8	उमराली	364-थोडसिंधी	25			
9	जोबट	30-बलेडी	30			

10	आलीराजपुर	250-डेहरी	30			
11	कट्टीवाडा	219-कनेरा	20			
12	जोबट	2-सेमलखेडी	20			
13	जोबट	66-फाटा	40			
14	उमराली	382- तिखोला	25			
15	आलीराजपुर	275-अंधारझिरी	30			
16	आलीराजपुर	247-झडुली	50			
17	आलीराजपुर	241-अम्बाडबेरी	50			
18	मथवाड	499-बखतगढ	50			
19	जोबट	3-बलेडी	50			
20	उमराली	403- गुलवट	25			
21	मथवाड	425-फउतला	20			
22	जोबट	36, 37, 38-हरदासपुर	40			
23	जोबट	40	30			
24	उमराली	401-भानचिडी	25			
25	जोबट	3-बलेडी	100			
26	जोबट	23 रणजीतगढ	30			
27	उमराली	381-वालपुर	40			
28	चन्द्रशेखर आजाद नगर	85-रठौडी	30			
29	मथवाड	420-भीताडा	15			

टीप :-

1. क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य हैं।
2. क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के उपलब्ध न होने अथवा उनके हस्ताक्षर प्राप्त नही होने की स्थिति में स्थल भ्रमण का जियोटेग्ड सेल्फी फोटोग्राफ (निविदाकार/निविदाकार के प्रतिनिधि के नाम सहित) अपलोड करने पर निविदा में मान्य किये जावेंगे।

अनुलग्नक-4

पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

i. (किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव:

क) तीन समान कार्य जिसके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ख) दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदा दी गई है; अथवा

घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मर्दों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मर्दों की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मर्दों की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक 5  
स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्र. \_\_\_\_\_

दिनांक

प्रति,

मेसर्स .....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय:

- XOX -

प्रिय श्री, .....

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है। -

क्र. सं	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रुपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

- क. रुपये ..... (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/ निष्पादन गारंटी (रुपये.....केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, ..... के नाम पर प्रतिज्ञा।
- ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुबन्धक 6

संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;

ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;

ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर [सी] के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में];

ड. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;

च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और

छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें [और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है], जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें:

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

अनुलघ्नक 7  
अनुबंध प्रपत्र  
अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक ..... को वनमण्डल अधिकारी, ..... जिला (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स ..... (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी, ..... म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात्
  - i. स्वीकृति पत्र
  - ii. निविदाकारों को निर्देश
  - iii. अनुलघ्नक 1 से 3
  - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
  - v. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर \_\_\_\_\_ इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी:

उक्त \_\_\_\_\_ द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त \_\_\_\_\_ की उपस्थिति में:

वनमण्डल अधिकारी

.....(MO/PRO) निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर